राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांक : प. 2(1)(26)का/क–3/शिका/2022 — जयपुर, दिनांक 26/4/2022

आदेश

श्री अशोक सांखला, आर.ए.एस., भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा अपराध संख्या 140/2022 अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 23.04.2022 को गिरफ्तार किया गया।

अतः राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री अशोक सांखला, आरएएस को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 23.04.2022 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been suspended) एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री अशोक सांखला, आर.ए.एस. का निलम्बनकाल में मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

-sd-
(डॉ. एस.पी. सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान को उनके आई.डी. क्रमांक CMO F22001524 OSD(Y) दिनांक 25.04.22 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान।
4 शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग को श्री अशोक सांखला, आर.ए.एस. के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री अशोक सांखला को सुपुर्द करवाकर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। साथ ही निवेदन है कि श्री सांखला को निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
6 श्री अशोक सांखला, आर.ए.एस. को निर्देश दिए जाते है कि वे प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करे एवं बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये अपना मुख्यालय न छोड़ें।
7 कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8 कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11 कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12 रक्षित पत्रावली ।

(एन.एल. राव)
शासन सहायक सचिव